न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/03/2024	2024/02	08-01-2024	31-01-2024

01– शिवराम पुत्र स्व. श्री बालाराम जाति जाट निवासी ग्राम चांदपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार अलवर दिनांक 08.05.2023 नामान्तकरण संख्या 512 वाके ग्राम बहतुखुर्द तहसील कठूमर जिला अलवर।

उपस्थितः–
01–श्री अमरचन्द चौधरी –वकील अपीलान्ट
02–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के निर्णय दिनांक 08.05.2023 नामान्तकरण संख्या 794 वाके ग्राम बहतुखुर्द तहसील कठूमर जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलण्टिान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आलोच्य आज्ञा तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज0 दिनांक 08.05.2023 नामांतकरण विरासत संख्या 512 ग्राम बहतुखुर्द तहसील कठूमर जिला अलवर विरासत मृतक बालाराम पुत्र श्री बोदन जाति जाट निवासी ग्राम चांदपुर तह0 कठूमर जिला अलवर में वर्णित हाल आराजी खसरा नंबरान 1/283, 15, 2/287 वाके ग्राम बहतुखुर्द तहसील कठूमर जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी मिन अपीलाण्ट के पिता श्री बालाराम पुत्र श्री बोदन जाति जाट निवासी ग्राम चांदपुर तहसील कठूमर जिला अलवर की हिस्से कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। अपीलाण्ट के पिता श्री बालाराम का स्वर्गवास हो गया। जिनकी विरासत का आलोच्य नामांतकरण संख्या 512 दिनांक 08.05.2023 को रेस्पोडेण्ट तहसीलदार कठूमर जिला अलवर द्वारा दर्ज व तस्दीक किया गया है। अपीलाण्ट का वास्तविक नाम "शिवराम पुत्र श्री बालाराम जाति जाट निवासी ग्राम चांदपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0" है तथा मिन अपीलाण्ट के पहचान संबंधी समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में भी अपीलाण्ट का नाम "शिवराम पुत्र श्री बालाराम" अंकित है। लेकिन आलोच्य आज्ञा जेर बहस अपील में रेस्पोडेण्ट द्वारा बिना वारिसान के सही नाम की जांच किये, मिन अपीलाण्ट का नाम "शिवदयाल पुत्र श्री बालाराम" दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत नाम है। मिन अपीलाण्ट का वास्तविक नाम "शिवराम पुत्र बालाराम" है, "शिवदयाल पुत्र बालाराम" नहीं है। जिस गलत अंकन की जानकारी मिन अपीलाण्ट को राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर हुयी। इसलिए अपीलाधीन आज्ञा को संशोधित कर उसमें दर्ज मिन अपीलाण्ट का नाम "शिवदयाल पुत्र श्री बालाराम" को कलमजन कर उसके स्थान पर "शिवराम पुत्र श्री बालाराम" दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। रेस्पोडेण्ट ने आलोच्य आज्ञा नामांतकरण पारित करने से पूर्व मिन अपीलाण्ट को तलब नहीं किया गया, ना कोई सुनवाई अथवा साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया। तहत अदालत ने अपीलाधीन आज्ञा खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों एवं नैसर्गिग न्याय के सिद्धांत व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुए पारित की है, जो निरस्त योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित विवादित नामान्तकरण संख्या 512 ग्राम बहतुखुर्द निर्णय दिनाक 08.05.2023 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 17.12.2023 को हुयी, जब पटवारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

हल्का ने मिन अपीलाण्ट को मिन अपीलाण्ट के पिता बालाराम की विरासत से प्राप्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की नकल किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए लेने जाने पर मौखिक रूप से उक्त आज्ञा की जानकारी दी। बाद जानकारी अपीलान्ट द्वारा नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर नकल दिनाक 19.12.2023 को तैयार होकर प्राप्त हुई। दिनांक 08.05.2023 से दिनांक 17.12.2023 का समय जानकारी के अभाव में निकला है, जो काबिले माफी है, जिसे माफ किये जाने हेतु अपील के साथ पृथक से प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे, तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 08.05.2023 नामान्तकरण संख्या 794 ग्राम चांदपुर तहसील कठूमर जिला अलवर संशोधित कर उक्त आज्ञा में दर्ज मिन अपीलाण्ट का नाम ''शिवदयाल पुत्र बालाराम'' को कलमजन कर उसके स्थान पर मिन अपीलाण्ट का वास्तविक नाम ''शिवराम पुत्र बालाराम'' दर्ज व तस्दीक किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 512 वाके ग्राम बहतुखुर्द तहसील कठूमर जिला अलवर में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में सहवन से शिवराम पुत्र बालाराम के स्थान पर शिवदयाल पुत्र बालाराम अंकित किया गया है जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 512 निर्णय दिनांक 08.05.2023 वाके ग्राम बहतुखुर्द तहसील कठूमर जिला अलवर के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 29.12.2023 को पेश की गयी है, जो करीब 07 माह पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2023 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 17.12.2023 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत का इंतकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम शिवराम पुत्र बालाराम के स्थान पर शिवदयाल पुत्र बालाराम दर्ज कर दिया गया है जिसे शुद्ध किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का परिशीलन किया गया। नामान्तकरण संख्या 512 दिनांक 08.05.2023 में अपीलान्ट के पिता बालाराम की विरासत के संबंध में दर्ज कर स्वीकार किया गया है, जिसमें अपीलान्ट के अलावा उसका भाई दीपचन्द व अपीलाण्ट की बहन रेशम देवी के पक्ष में भी दर्ज किया गया है। नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम शिवराम के स्थान पर शिवदयाल दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलान्ट का नाम वास्तव में शिवराम है तथा समस्त रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम शिवराम ही अंकित है, पटवारी हल्का द्वारा सहवन से अपीलान्ट का नाम शिवराम की जगह शिवदयाल दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलान्ट के आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड आदि में अपीलान्ट का नाम शिवराम दर्ज है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 08.05.2023 नामान्तकरण संख्या 512 वाके ग्राम बहतुखुर्द तहसील कठूमर जिला अलवर अपीलान्ट के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है। अपील अपीलांट तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट के दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड आदि की भलीभांति जांच कर विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31-1-24
(मुरारी लाल शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)